Email: बूतपंअपांदंहंत/लीववण्बवउ दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं.. 91–01437–220163

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान

अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501

ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute

Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

F.No.6(310)SP/2014/V.I **Dated: 18-02-2019**

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

On behalf of Secretary, ICAR the Director, CSWRI, Avikanagar invites online bids in two bid system for संस्थान में सीवरेज से संबंधित कार्य का वार्षिक अनुबन्ध/जॉब कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.** Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	**F.No.6(310)SP/2014/V.I**
Date and Time for issue/Publishing	18-02-2019 at 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	19-02-2019 at 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	19-02-2019 at 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	12-03-2019 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	13-03-2019 at 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.500/- Earnest money Rs.10,000.00 Security money of 10% contract amount
Bank detail	ICAR UNIT CSWRI, Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer (Store & Purchase), C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan, Pin- 304501

Chapter I- Instruction to bidders

1. **Bids shall be submitted online only at CPPP website:** https://eprocure.gov.in/eprocure/app.
2. Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
3. In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
4. The complete bidding process in online. Bidders should be possession of valid digital Signature Certificate (DSC) of class II or III for online submission of bids. Prior to bidding DSC need to be registered on the website mentioned above. For any assistance for e-bidding process, if required bidder may contact to the helpdesk at 01437-220177.
5. **Tenderer/Contractor/Bidders are advised to follow the instructions provided in the 'Instructions to the Contractors/Tenderer/Bidders for the e-submission of the bids online through the Central Public Procurement Portal for e-procurement at** https://eprocure.gov.in/eprocure/app**.**
6. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.
7. **Tender Cost:** Applicant contractor must submit the demand draft for Rs 500/- (Rupees Five Hundred only) in favour of "ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura", obtained from any Nationalized/ scheduled Bank valid for three months as tender fees. All applicable bank charges shall be borne by the applicant and he shall not have any claim what so ever on this account on Government. The Demand Draft submitted for tender fee shall be non-refundable. **The demand drafts for tender fees must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission.**
8. **EMD Payment:** The bidder shall be required to submit the Earnest Money Deposit (EMD) for an amount of **Rs 10,000/- (Rupees Ten Thousand Only)** by way of demand drafts only. The demand drafts shall be drawn in favour of "ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura". The EMD of the successful bidder will be return after deposit Security Money and for unsuccessful bidder(s) it would be returned after award of the contract. **The demand drafts for EMD must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date / time of Bid Submission.**
    a) No request for transfer of any pervious deposit of earnest money or security deposit on payment of any pending bill held by the institute in respect of any previous work will be entertained.
    b) Tenderer shall not be permitted to withdraw his offer or modify the terms and condition thereof. In case the tenderer fails to observe and comply with stipulation made herein or back out after quoting the rates, the aforesaid amount of earnest money will be forfeited.
    c) The Tenders without Earnest Money will be summarily rejected.
    d) The Firm who are registered with National Small Industries Corporation (NSIC) / OR Small Scale Industries (SSI) are exempted to submit the EMD (Copy of registration must be provide along with technical bid)
    e) No Claim shall lie against the ICAR-CSWRI, Avikanagar in respect of erosion in the value or interest on the amount of EMD.
9. **The Hard Copy of original document in respect of cost of tender document, earnest money deposit must be delivered to the ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission as mentioned above. The bid without tender fee and EMD will be summarily rejected.**

10. **Submission of Tender:** The tender shall be submitted online in two part, viz., technical bid and financial bid. All the pages of bid being submitted must be signed and sequentially numbered by the bidder irrespective of nature of content of the documents before uploading.

The offers submitted by Telegram/Fax/Email shall not be considered. No correspondence will be entertained in this matter.

11. **Technical Bid :** The following scanned documents are to be furnished by the bidders along with Technical Bid as per the tender document:

1. Scanned copy of relevant Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST, a certificate is required showing his turnover less than Rs.20 lakhs of his claim is to be sustained by documentary evidence like ITR (Income Tax Return), balance sheet, profit & Loss Statement etc.
4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
5. Scanned copy of D.D. of Tender Fee and E.M.D.
6. Tender acceptance letter (Annexure I)
7. Scanned copy of non blacklisting certificate (Annexure II)

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer (S&P)

Chapter II- Scope of Work

संस्थान के सीवरेजे संबंधित कार्य का वार्षिक अनुबन्ध/जॉब कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करने के नियम व शर्ते :–

1. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ रू10,000/–अक्षरे दस हजार रूपये मात्र बतौर अमानत राशि डिमाड ड्राफ्ट/एफ डी आर के माध्यम से इस संस्थान के पक्ष मे जो कि ICAR UNIT CSWRI, Avikanagar (Malpura) के नाम SBI Malpura Branch में देय हो के रूप में जमा कराना होगा। बिना अमानत राशि के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा के साथ जमा कराई गई अमानत राशि सफल निविदा प्रस्तुत कर्ता को जमानत राशी जमा कराने तथा कार्य अनुबंध आदेश जारी करने के बाद ही लौटाई जायेगी। नियमानुसार असफल निविदादाताओं को अमानत राशि लौटा दी जायेगी
2. **निविदा में प्राप्त न्यूनतम एवं उचित दरें ही स्वीकार्य की जा जायेंगी। दोनों सारणीयों में दरें अंकित करना अनिवार्य है। एक ही सारणी में दर अंकित करने पर उनकी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।**
3. दरों में सब मिलाकर (Overall) कुल प्राप्त राशि को न्यूनतम माना जावेंगा।
4. संस्थान में आवासीय व गैर आवासीय भवनों तथा विभिन्न प्रक्षेत्रों में सीवरेज से संबंधित मरम्मत कार्य करना एवं सीवर लाईन के ब्लॉकेज की सफाई करना, डब्ल्यू सी आदि गली ट्रेप आदि की ब्लॉकेज की सफाई करना एवं मरम्मत करना साथ ही प्रति माह ईन्जन चलाकर सभी मुख्य सीवर टेंको का पानी खाली करना व इससे संबंधित अन्य सभी शिकायतों का दिन–प्रतिदिन निराकरण करना होगा।

5. आवासीय एवं गैर आवासीय सभी भवनों के सेप्टिक टेंको, मेन हॉलो में जमा मलबा खाली करना एवं उसे जमीन में दबाना होगा । इस कार्य में मलबा खाली करने हेतु इंजन, ईंधन एवं उसमें लगने वाले श्रमिक सभी ठेकेदार के स्वयं के होंगे। संस्थान द्वारा अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।

   वर्तमान में संस्थान परिसर में 226 आवासीय भवन, सैक्टर नं0 9, 12, 13, 14, 15 एवं 18 सहित अन्य सभी सैक्टर, प्रशाासनिक भवन, एन.पी.बी.भवन, पुस्कालय भवन, पशु स्वास्थ्य विभाग, मीट प्रयोगशाला एव अन्य सभी प्रयोगशालाएँ, कच्चा बन्दा एवं अन्य सभी गैर आवासीय भवनों से संबंधित कार्य आदि। कार्य के दौरान अनुबन्धकर्ता की लापरवाही से संस्थान संपति का नुकसान होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी तथा नुकसान का सक्षम अधिकारी द्वारा मूल्यांकन पश्चात् जो भी कीमत होगी 15 दिवस में जमा करवाना होगा अन्यथा उनके देय बिल से उस राशि की कटौति कर ली जावेगी।

<u>**कटौतियां:**</u>

6. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार में शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त की जा सकती है।
7. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देय बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। इस सम्बंघ में संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय ही अन्तिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
8. कार्य निर्देशानसुार समय पर पूर्ण नही होने की दशा में ठेकेदार की जमा जमानत राशि को जब्त करते हुए अनुबंध को निरस्त कर दिया जायेगा ,जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ।
9. ठेकेदर एवं उसके प्रतिनिधि को संस्थान के अधिकारी/कर्मचारियो के साथ शिष्टता का व्यवहार रखना होगा अन्यथा ठेका समयावधि से पूर्व भी समाप्त/निरस्त किया जा सकता है।

<u>अनुबन्ध की सामान्य नियम व शर्तें:</u>

10. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष या अधिक तक बढ़ाया जा सकता है।
11. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी, यदि आवश्यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समझा जावेगा।
12. सीवरेज सें संबंधित कार्य हेतु प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार सीवरेज संबंधित सम्पूर्ण कार्यो के अनुभवी कर्मी उपलब्ध कराने होंगे । कर्मियों की संख्या कार्यो के दैनिक निस्पादन प्रभारी, सम्पदा द्वारा बताए गए निर्धारित समय पर पूर्ण करने की दृष्टि से है । इसके अलावा कार्य की अधिकता के समय मांग के अनुरूप अतिरिक्त कर्मी उपलब्ध करवाया जाना होगा । अतिरिक्त कर्मियों की मांग एक दिन पहले सूचित कर दिया जावेगा ।
13. शिकायत पंजिका में दर्ज शिकायतो का निराकरण प्रतिदिन करना होगा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित शिकायत को तुरन्त ही निराकरण करना होगा । जैसे – गटर चौक होना, नाली चौक होना,एंव अन्य समस्त सीवर लाईन सम्बन्धित कार्य। शिकायत निराकरण समय पर न होने की स्थिति में महिने के भुगतान की प्रतिदिन के औसत राशि की दुगुनी राशि की दर से कटौती की जावेगी। संस्थान पक्ष से किसी कारणवश शिकायत निवारण की देरी की स्थिति में यह कटौती नहीं की जावेगी।
14. शिकायत निवारण में ठेकेदार द्वारा कार्मिकों का प्रबन्ध समय पर नही कराने की स्थिति में उक्त कार्य के निस्पादन में लगाये गये कार्मिकों की मजदूरी का भुगतान ठेकेदार को करना होगा। यदि उक्त कार्य संस्थान के कर्मचारी/मजदूर द्वारा करवाया जाता है तो उसके उस दिन के वेतन के बराबर की राशि ठेकेदार के बिल से कटौती की जावेगी। इसको अवज्ञा के रूप में मानकर सक्षम अधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है जिसमें पेनल्टी एवं अनुबन्ध समाप्त भी किया जा सकता है।
15. संबंधित अनुबन्ध की शिकायतों की जानकारी संस्थान के सम्पदा अनुभाग की शिकायत पंजिका से रोजाना प्राप्त करना होगा। साथ ही शिकायत निराकरण की रिपोर्ट डायरी में मय शिकायतकर्ता से हस्ताक्षरित प्रभारी सम्पदा/प्रतिनिधि को देनी होगी।
16. कार्य अनुबंध से संबंधित कार्य शिकायतों में लगने वाला सामान सम्पदा अनुभाग से उपलब्ध करवाया जावेगा, जो कि सम्पदा अनुभाग के स्टोर से लेना होगा। साथ ही हटाया जाने वाला पुराना सामान वापस जमा करवाना होगा। शिकायत निराकरण में काम में आने वाले सभी औजार स्वंय ठेकेदार के होंगे। संस्थान द्वारा कोई औजार उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।
17. अनुबन्धकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि को नियमित रूप से रोजाना निदेशक महोदय द्वारा नामित अधिकारी या प्रभारी सम्पदा/प्रतिनिधि से सम्पर्क करना होगा। उनके दिशा–निर्देश अनुसार कार्य करना होगा। अनुबन्ध के अलावा आवश्यकता अनुसार समानान्तर कार्यो में सहायता संबंधित कार्य भी प्रभारी, सम्पदा की देख–रेख में करना होगा। शर्तो के पालन में शिथिलता की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
18. ठेकेदार/कार्मिकों द्वारा किसी प्रकार की संस्थान सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी। अन्यथा ठेकेदार के बिल से नुकासान राशि की कटौति की जावेगी। अनुबन्ध की अवधि में कार्मिक को हटाने/बदलने की स्थिति में इसकी सम्पूर्ण जानकारी प्रभारी सम्पदा को देनी होगी ।
19. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
20. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय प्रत्येक सप्ताह में एक बार प्रभारी, सम्पदा अनुभाग से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी के दिशा–निर्देशानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
21. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
22. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा। इसका रजिस्टर कभी भी संस्थान के अधिकृत अधिकारी द्वारा भारत सरकार की नियमों की पालना के दृष्टिकोण से जॉचा जा सकता है।
23. प्रोक्यूरमेन्ट नियमावली के अनुसार 25% मात्रा की भिन्नता का नियम लागू होगा।

24. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी. / आयकर (G.S.T. /Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
25. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत / राज्य सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। समय पर भुगतान न करने संबंधित किसी प्रकार के वाद / क्लेम की स्थिति में न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार वित्तीय भुगतान / श्रतिपुर्ति का उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा। श्रमिकों के भुगतान के संबंध में पूरा रिकार्ड / अभिलेख स्वंय ठेकेदार को रखना होगा। श्रमिकों / पारिश्रमिकों का भुगतान भारत / राज्य सरकार की निर्धारित दर के अनुरूप ही करना होगा ।
26. समय–समय पर भारत / राज्य सरकार के लागू नियमों का पालन करना होगा। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।

27. अनुबंध कार्य का भुगतान मासिक बिल बेसिस पर किया जायेगा। कार्य का बिल तीन प्रतियों में सम्पदा अनुभाग को प्रस्तुत करना होगा, जिससे लगाये गये श्रमिकों एवं शिकायतों को प्रमाणित किया जा सके।
28. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रभारी, सम्पदा अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
29. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार / उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता / क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्य करवा लें।
30. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 03 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाये जाने की स्थिति में आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा। अथवा किसी प्रकार के नुकसान या व्यवधान की स्थिति में अनुबन्ध समय अवधि से पहले भी अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
31. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
32. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार / फर्म / एजेन्सी / कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
33. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
34. इस अनुबंध में G.F.R.,2017 (Mannual for Procurement of Goods and Services) में उपलब्ध नियम एवं भारत सरकार के इस अनुबंध से संबंधित नियम भी लागू होगें ।
35. **वित्तीय निविदा में दरें भरने से पूर्व इस अनुबंध में दिये गये कार्य, स्थान, क्षेत्र को यहां आकर संबंधित अनुभाग प्रभारी / विभागाध्यक्ष से जानकारियां ले लेवें या उन स्थानों का अपने स्तर पर अवलोकन कर लेवें। इसकी जानकारियां दूरभाष सं0 01437–220177 द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है ।**
36. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
37. सफल ठेकेदार को 100 /– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
38. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक / सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
39. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in & e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।

Chapter III- General Terms & Conditions

1. Tenderers are advised to go through all the points mentioned in the terms and conditions of tender carefully before submitting the tender document. Incomplete/unsigned/conditional tenders will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard.
2. Before submission of the tender, the tenderer/contractor may inspect/visit the farm area site and get acquainted himself with reference to conditions and to nature of work required to be performed/executed at this Institute to avoid any ambiguity or confusion.
3. The contract will be awarded to the loast responsive & instifiable quotee based on the rates quoted by the firm. In case, the institute finds that the rates quoted by the tenderer is not sufficient to cover the cost of engaging minimum number of personnel at minimum wages along with other statutory requirement as specified by Govt. of India for Agricultural Sector the institute will reject such tenders. In case of two or more tenders quote same rates the tenderer having experience in relevant work will be given preference.
4. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason.
5. Each & every items rate information asked in the tender document should be filled completely in the tender. Any incomplete ambiguoue information/rates filled in tender (Including financial bid) may be summarily rejected in accordance with the rules.
6. If successful tenderer does not accept the offer within 15 days, after issuance letter of award the offer will stand withdrawn & earnest money will be forfeited, and no correspondence will be entertained in this regard.
7. The successful firm will have to sign an agreement (format will be provided by the institute with offer) on non-judicial stamp paper of appropriate value not less than **Rs. 100/-** along with the **Security Deposit @10% of contract value in** form of Account Payee Demand Draft/banker's Cheque or Bank Guarantee / FDR/TDR in favour of **ICAR Unit CSWRI, Avikanagar** within 15 days after issue of letter of award. It is clarified that no interest on security deposit shall be payable and security deposit money will be refundable only after the expiry/ termination of the contract period and adjusting the dues and /or forfeiture if any.
8. The contract will be awarded initially for a period of one year and thereafter will be extendable up to one more year or more subject to the satisfactory performance, on the same terms & conditions.
9. The firm will be disqualified and black listed and security deposit forfeited, if it is found that they sublet the contract, wholly or partially, during the period of the contract. A register for complaint /surprise/routine checks shall be maintained by the contractor which may also be inspected by authority of institute.
10. All the deployed workers must be in sound health, between 18-60 years of age. The firm should submit police verification/ fitness certificate for each deployed worker and issue them an identity card as well as appropriate uniform at the cost of contractor.
11. It will be the responsibility of the firm to look after the health and welfare of the personnel deployed as per the statutory requirements and rules. Such records would be maintained in registers and should be produced as and when demanded by the Institute.
12. The contractor shall maintain a register of complaint/work and duties performed which shall be verified by the institute.
13. ***PENALTY CLAUSE: LIQUIDATED DAMAGES CLAUSE***: Any loss/damage occurred by the Firm/Contractor to the Institute property during the transaction/currency of the contract, the clause liquidated damages for **Rs.500/-** per day or double the amount of loss to institute whichever is higher shall be imposed, if the Firm fails to replace/rectify the damage/loss within a week. In case of any of the above contingencies, the First Party shall have the right to terminate this agreement forthwith without notice and recover aforesaid amount for security deposit and shall not be liable to any damages and/ or loss, which may be suffered by the agency on account of termination of this agreement. The same shall be without any financial implication on part of

the First Party. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.

14. If the contractor does not discharge his duties up to the satisfaction of I/c Estate Section or nominated representative of Director the contract will be terminated before expiry period and the security money will be forfeited.
15. In case any problem arises on account of non-compliance of any statutory Law, the sole responsibility will be on the concerned firm. The Institute will not be responsible for any liability in this regard.
16. If any loss is incurred to the institute due to negligence or malafied intentions of the firm or any of its employees, the firm will make good the losses incurred to institute. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
17. The firm must abide by all the Labour Laws in vogue for which the responsibility will solely be lying on the concerned firm. The payment to labourers engaged by the firm must be as per minimum wages prescribed by the Govt. of India for Agricultural Sector through the bank transfer, on or before 10th day of following month. The details of the payment are to be submitted to the office for processing the bill.
18. The labourers engaged by the firm will have no claim for any regular employment in the Institute/ICAR at any point of time, as this arrangement is purely on the contractual basis between the Institute and the firm.
19. In case of any accident/loss of life of the worker during discharging duties, all the liabilities/ compensation shall be borne by the firm and ICAR-CSWRI, Avikanagar shall not have responsibility in this regard.
20. The firm must submit proof of depositing the EPF and ESIC contributions along with the name and account numbers of the deployed labour and Challan of the deposited GST for the billing period (if applicable).
21. The bill in triplicate for work carried out in billing period is to be submitted in the Office for claiming the monthly payment through a Coordinator appointed by the Institute. No part payment request would be entertained.
22. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserve the right to review the performance whenever felt necessary also to terminate the contract at any point of time during the tenure of contract in case the performance and service rendered by firm are found to be unsatisfactory, without giving any prior notice. The decision of Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar shall be final and binding on the contractor.
23. Contract can also be terminated at any point of time if the above mentioned work is no more required. Contract cannot be terminated by contractor firm before expiry of the contract period. **Violation would invite forfeiture of security deposit.**
24. In the case of any dispute between the institute and the firm, the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will appoint an arbitrator within one month of the dispute, whose decision will be binding on both the parties; the legal jurisdiction will be Malpura only.
25. The TDS will be deducted as per Income tax extant rules.
26. The contractor or its worker shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which contract is awarded.
27. The contractor/ his authorized representative shall report immediately whenever called by HOD/Incharge on receiving telephone message to attend any complaint.
28. The Contractor firm or its partners/Directors should not been declared insolvent any time. Further they are not declared defaulters / black listed by any Bank/ Financial Institute/ State oriented Govt. organization, Autonomous body etc.

Administrative
Officer (S&P)

Annexure - I

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः **6(310)SP/2014/V.I** दिनांकः 18.02.2019

<u>निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance letter)</u>

संस्थान के सीवरेज संबंधित कार्य का संबंधित कार्य का वार्षिक अनुबन्ध/जॉब कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर करने का वार्षिक अनुबन्ध <u>**(वर्ष 2018–2019 एवं 2019–20)** के आधार पर करने बाबत</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के **संस्थान के सीवरेजे संबंधित कार्य का संबंधित कार्य का वार्षिक अनुबन्ध/जॉब कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर करने का वार्षिक अनुबन्ध <u>(वर्ष 2018–2019 एवं 2019–20) के आधार पर</u>** सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट/जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं प्रभारी, सम्पदा अनुभाग या उनके प्रतिनिधि या निदेशक महोदय द्वारा अधिकृत अधिकारी से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझें व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यो का पूर्ण ज्ञान है।

मै यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक ––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि
मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं.

Annexure - II

NON BLACKLISTING CERTIFICATE

[To be submitted on letterhead]

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date:
Place:

Name:
Business Address :
Signature of Bidder:
Seal of the Bidder:

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(204)SP/2009/V.II दिनांकः 18.02.2019

<u>वित्तीय निविदा प्रपत्र</u>

संस्थान के सीवरेजे संबंधित कार्य का अनुबन्ध/जॉब कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर करने का वार्षिक अनुबन्ध (वर्ष 2018–2019 एवं 2019–20) के आधार पर करने की दर सभी करों एवं खर्चो सहित निम्नानुसार है–

<u>सारणी–1</u>

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित कार्य की मात्रा	दर प्रति माह (अंको व शब्दों में)
1.	संस्थान के आवासीय व गैर आवासीय भवनों, विभिन्न प्रक्षेत्रों व सेक्टरों में सीवरेज से संबंधित मरम्मत एवं सीवर लाईन के ब्लॉकेज की सफाई करना, डब्ल्यू सी व गलीट्रेप के ब्लॉकेज निकालना व मरम्मत करना साथ ही प्रति माह ईन्जन चलाकर सभी मुख्य सीवर टेंको का पानी खाली करना व सीवर लाईन से संबंधित अन्य सभी शिकायतों का दिन–प्रतिदिन निराकरण करने का कार्य	एक वर्ष	Rs.________________ रूपये ________________

<u>सारणी–2</u>

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित कार्य की मात्रा	दर एक मुश्त (अंको व शब्दों में)
2.	आवासीय एवं गैर आवासीय भवनो, सेक्टरों के सभी छोटे–बडे सेप्टिक टेंको (12 नग), मेन हॉलो (160 नग), सीवर लाईन चेम्बर (160 नग), व गलीट्रेपो (160 नग लगभग) एवं सभी साईजो की सीवर लाईनों की मानवों/मशीनों द्वारा मलवा/मिट्टी आदि निकाल कर साफ सफाई करना व मलवे को निर्दिष्ट स्थान पर डालने व मिट्टी में दबाने का कार्य	जहॉ जैसा है वैसा के (Lump sum) आधार पर	Rs.________________ रूपये ________________

दिनांक ––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं.